



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232298
CG-DL-E-31122021-232298

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]
No. 746]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 21/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 920(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 816 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- क. अनुसूची I - 2.5% में, क्र.सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।”
---------	----	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 892 (अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 21/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2021-Central Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 816(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.01/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- in Schedule I – 2.5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
- in Schedule II – 6%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”
--------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2021–Central Tax (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 892(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 21/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 921(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 817 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 5% में, क्र.सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 12% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।”
---------	----	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 8 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 893(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 21/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2021-Intergated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 817(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

- b. in Schedule II – 12%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”
--------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 893(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 21/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 922(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 818 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- क. अनुसूची I – 2.5% में, क्र.सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- ख. अनुसूची II – 6% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।”
---------	----	--

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 894(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 21/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 922(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2021-Union Territory Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 818(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- a. in Schedule I – 2.5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;
- b. in Schedule II – 6%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”
--------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 894(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 22/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 923(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 807 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- (1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 687(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 22/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 923(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2021 – Central Tax(Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 807(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,-

- 1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;

- 2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - 3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 06/2021 - Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2021 vide number G.S.R. 687(E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 22/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 924(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 808(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- (1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 689 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 22/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 924(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 808(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,-

- 1) in column (3), in the heading “Description of Service”, in items (iii),(vi),(ix) and (x), for the words and symbols “Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words and symbols “Union territory or a local authority” shall be substituted;
 - 2) in column (3), in the heading “Description of Service”, in item (vii), for the words and symbols “Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words and symbols “Union territory or a local authority” shall be substituted;
 - 3) in column (5), in the heading “Condition”, the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 06/2021-Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2021 vide number G.S.R. 689 (E), dated the 30th September, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 22/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 925(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv),

उपवाक्य (v) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 809 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

- (1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2021, सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 22/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 925(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 15/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number

G.S.R. 809(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,-

- 1) in column (3), in the heading 'Description of Service', in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - 2) in column (3), in the heading 'Description of Service', in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
 - 3) in column (5), in the heading 'Condition', the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be omitted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 11/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 06/2021-Union Territory Tax (Rate), dated the 30th September, 2021 vide number G.S.R. 691(E), dated the 30th September, 2021.